भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 605

उत्तर देने की तारीख 06.02.2025

जनजातियों के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाएँ और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ

605. डॉ. बच्छाव शोभा दिनेशः

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में विशेषकर नासिक और धुले में जनजातीय विकास के लिए कार्यान्वित की जा रही केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं और केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं का योजनावार/जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उपर्युक्त प्रत्येक योजना के लिए महाराष्ट्र विशेषकर नासिक और धुले में योजनावार/जिलावार आबंटित, स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान निर्धारित और प्राप्त किए गए वास्तविक लक्ष्यों का महाराष्ट्र, विशेषकर नासिक और धुले में वर्ष/योजना/जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उपर्युक्त योजनाओं में से किसी योजना के समय और लागत में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (ग): सरकार देश में अनुसूचित जनजातियों और जनजातीय बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए एक रणनीति के रूप में अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) को क्रियान्वित कर रही है। 41 मंत्रालय/विभाग शिक्षा,

स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़क, आवास, विद्युतीकरण, रोजगार सृजन, कौशल विकास आदि से संबंधित विभिन्न जनजातीय विकास परियोजनाओं के लिए डीएपीएसटी के तहत जनजातीय विकास के लिए हर साल अपने कुल योजना बजट का कुछ प्रतिशत आवंटित कर रहे हैं। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए बाध्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा आवंटित धनराशि के साथ-साथ योजनाएं https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/stat10b.pdf लिंक में केंद्रीय बजट दस्तावेज के व्यय प्रोफाइल के विवरण 10ख में दी गई हैं।

इसके अलावा, जनजातीय कार्य मंत्रालय देश में अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के कल्याण और विकास के लिए विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रहा है। मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण अनुलग्नक I में दिया गया है। मंत्रालय सीधे जिलों को निधि जारी नहीं करता है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत नासिक में अजजा के लिए 1,45,461 मकान स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 58,972 पूरे हो चुके हैं। धुले में अजजा के लिए 91681 मकान स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 39,950 पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) के तहत 2023-24 में नासिक में 2,32,594 अजजा किसान और धुले में 79,146 अजजा किसान लाभान्वित हुए।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत महाराष्ट्र के 32 जिलों के 46,94,682 अजजा को कवर करते हुए 4975 गांवों को कवर किया जा रहा है। नासिक के 767 गांव, जिनमें 8,28,239 अजजा शामिल हैं और धुले के 213 गांव, जिनमें 3,21,369 अजजा शामिल हैं, को अभियान के तहत कवर किया जा रहा है। 2019-20 से 2023-24 तक अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता के तहत, नासिक में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों को 417.49 लाख रुपये मंजूर किए गए, जिससे 1979 अनुसूचित जनजातियाँ लाभान्वित हुईं और धुले में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों को 2617.03 लाख रुपये मंजूर किए गए, जिससे 10549 अनुसूचित जनजातियाँ लाभान्वित हुईं।

जैसा कि महाराष्ट्र के जनजातीय विकास विभाग द्वारा जानकारी दी गयी है, नासिक और धुले जिलों में मंत्रालय की योजनाओं की वास्तविक और वित्तीय प्रगति अनुलग्नक II में दी गई है।

(घ) से (ङ): आदिवासी विकास विभाग, महाराष्ट्र ने सूचित किया है कि योजनाओं का कार्यान्वयन योजनाओं के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रगति पर है और निर्धारित राशि में कोई वृद्धि नहीं की गई है। विभाग द्वारा परियोजनाओं/योजनाओं की नियमित समीक्षा की जा रही है।

इसके अलावा, मंत्रालय योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने तथा वास्तविक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा के लिए राज्य अधिकारियों के साथ बैठकें/सम्मेलन आयोजित करता है। योजना के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में प्रगति रिपोर्ट भी प्राप्त की जाती है। मिशन की उपाय-वार या मंत्रालय-वार प्रगति की नियमित निगरानी के लिए पीएम जनमन के तहत पीएम गति शक्ति पोर्टल पर मंत्रालय-वार इंटरैक्टिव डैशबोर्ड विकसित किए गए हैं।

"जनजातीय लोगों के विकास के लिए केन्द्र प्रायोजित योजनाएं और केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं" के संबंध में डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश द्वारा दिनांक 06.02.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 605 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक I

देश में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण:

i. **धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान:** माननीय प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर, 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान में 17 लाइन मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 25 उपाय शामिल हैं और इसका उद्देश्य 63,843 गांवों में बुनियादी ढांचे के अंतरों को पाटना, स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनवाड़ी सुविधाओं तक पहुँच में सुधार करना और 5 वर्षों में 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के 549 जिलों और 2,911 ब्लॉकों में 5 करोड़ से अधिक जनजातियों को लाभान्वित करते हुए आजीविका के अवसर प्रदान करना है। अभियान का कुल बजटीय परिव्यय 79,156 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सा: ₹56,333 करोड़ और राज्य हिस्सा: ₹22,823 करोड़) है।

ii. **प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन):** सरकार ने 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) शुरू किया है, जिसे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। लगभग 24,000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय वाले इस मिशन का उद्देश्य 3 वर्षों में समयबद्ध तरीके से सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुँच, सड़क और दूरसंचार सम्पर्क, गैर-विद्युतीकृत आवासों का विद्युतीकरण और स्थायी आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ पीवीटीजी परिवारों और बस्तियों को संतृप्त करना है।

iii. **प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम):** जनजातीय कार्य मंत्रालय प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) का क्रियान्वयन कर रहा है, जिसे जनजातीय आजीविका को बढ़ावा देने के लिए दो मौजूदा योजनाओं अर्थात, "न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उपज (एमएफपी) के विपणन के लिए तंत्र और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास" और "जनजातीय उत्पादों/उपज के विकास और विपणन के लिए संस्थागत सहायता" के विलय के माध्यम से डिजाइन किया गया है।

इस योजना में चयनित एमएफपी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण और घोषणा की परिकल्पना की गई है। किसी विशेष एमएफपी मद के मौजूदा बाजार मूल्य के निर्धारित एमएसपी से नीचे गिरने की स्थिति में पूर्व-निर्धारित एमएसपी पर खरीद और विपणन कार्य नामित राज्य एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। साथ ही अन्य माध्यम और दीर्घकालिक मुद्दों जैसे कि सतत् संग्रह, मूल्य संवर्धन, बुनियादी ढांचे का विकास, एमएफपी के ज्ञान आधार का विस्तार और बाजार आसूचना विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा।

(iv) एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस): जनजातीय (आदिवासी) बच्चों को उनके अपने परिवेश में नवोदय विद्यालय के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 2018-19 में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) की शुरुआत की गई थी। नई योजना के तहत, सरकार ने 440 ईएमआरएस स्थापित करने का निर्णय लिया, 50% से अधिक अजजा आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय (आदिवासी) व्यक्तियों (जनगणना 2011 के अनुसार) वाले प्रत्येक ब्लॉक में एक ईएमआरएस होगा। 288 ईएमआरएस स्कूलों को शुरू में संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान के तहत वित्तपोषित किया गया था, जिन्हें नए मॉडल के अनुसार उन्नत (अपग्रेड) किया जा रहा है। तदनुसार, मंत्रालय ने देश भर में लगभग 3.5 लाख अजजा छात्रों को लाभान्वित करने के लिए कुल 728 ईएमआरएस स्थापित करने का लक्ष्य रखा है।

(v) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान: संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को बढ़ाने और जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए अनुसूचित जनजाति आबादी वाले राज्यों को अनुदान जारी किया जाता है। यह एक विशेष क्षेत्र कार्यक्रम है और राज्यों को 100% अनुदान प्रदान किया जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, आजीविका, पेयजल, स्वच्छता आदि के क्षेत्रों में अवसंरचना गतिविधियों में अंतर को पाटने के लिए अनुसूचित जनजाति आबादी की महसूस की गई ज़रूरतों के आधार पर राज्य सरकारों को निधियां जारी की जाती हैं।

vi. **अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता:** अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता योजना के अंतर्गत, मंत्रालय आवासीय विद्यालय, गैर-आवासीय विद्यालय, छात्रावास, सचल औषधालय, दस या अधिक बिस्तरों वाले अस्पतालों, आजीविका आदि को कवर करते हुए शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है।

vii. **अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति:** यह योजना उन छात्रों के लिए लागू है जो कक्षा IX-X में पढ़ रहे हैं। सभी स्रोतों से माता-पिता की आय प्रति वर्ष 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। दिवा छात्रों के लिए 225/- रुपये प्रति माह और छात्रावास में रहने वालों के लिए 525/- रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति वर्ष में 10 महीने की अवधि के लिए दी जाती है। छात्रवृत्ति राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश प्रशासन के माध्यम से वितरित की जाती है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर जहां यह 90:10 है, को छोड़कर सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच वित्तपोषण अनुपात 75:25 है। बिना विधानसभा वाले संघ शासित प्रदेशों के लिए साझाकरण पैटर्न 100% केंद्रीय हिस्सा है।

viii. **अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति:** इस योजना का उद्देश्य मैट्रिकोत्तर या माध्यमिकोत्तर स्तर पर अध्ययन कर रहे अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा पूरी करने में सक्षम बनाने के

लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सभी स्रोतों से माता-पिता की आय 2.50 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। शैक्षिक संस्थानों द्वारा लिये जाने वाले अनिवार्य शुल्क की प्रतिपूर्ति संबंधित राज्य शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन की जाती है और अध्ययन के पाठ्यक्रम के आधार पर 230 रुपये से 1200 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जाता है। यह योजना राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा जम्मू और कश्मीर जहां यह 90:10 है, को छोड़कर सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच वित्तपोषण अनुपात 75:25 है। बिना विधानसभा वाले संघ शासित प्रदेशों के लिए साझाकरण पैटर्न 100% केंद्रीय हिस्सा है।

(ix) अजजा उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्तियाँ: इस योजना के तहत चयनित छात्रों को विदेश में स्नातकोत्तर, पीएचडी और पोस्ट-डॉक्टरल की पढ़ाई करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। हर साल कुल 20 छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं। इनमें से 17 छात्रवृत्तियाँ अजजा के लिए और 3 छात्रवृत्तियाँ विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) से संबंधित छात्रों के लिए हैं। सभी स्रोतों से माता-पिता/परिवार की आय प्रति वर्ष 6.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(x) अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति:

(क) राष्ट्रीय छात्रवृत्ति- (उच्च श्रेणी) योजना [स्नातक स्तर]: इस योजना का उद्देश्य मेधावी अजजा छात्रों को मंत्रालय द्वारा चिन्हित देश भर के 265 उत्कृष्ट संस्थानों जैसे आईआईटी, एम्स, आईआईएम, एनआईआईटी आदि में से किसी में निर्धारित किन्हीं पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करना है। सभी स्रोतों से परिवार की आय प्रति वर्ष 6.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। छात्रवृत्ति राशि में ट्यूशन शुल्क, रहने का खर्च और किताबों तथा कंप्यूटर के लिए भत्ते शामिल हैं।

(ख) अजजा छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति: भारत में एमफिल और पीएचडी का उच्च अध्ययन करने के लिए अजजा छात्रों को हर साल 750 अध्येतावृत्तियां प्रदान की जाती हैं। अध्येतावृत्ति यूजीसी मानदंडों के अनुसार दी जाती है।

(xi) जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता: मंत्रालय इस योजना के माध्यम से जहां पहले से टीआरआई मौजूद नहीं हैं, वहां नए टीआरआई स्थापित करने और मौजूदा टीआरआई के कामकाज को मजबूत करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करता है ताकि अनुसंधान एवं दस्तावेजीकरण, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, समृद्ध जनजातीय विरासत को बढ़ावा देने आदि की दिशा में अपने मुख्य उत्तरदायित्व को पूरा किया जा सके। जनजातीय कला और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए, अनुसंधान और दस्तावेजीकरण, कला एवं कलाकृतियों के रखरखाव और संरक्षण, जनजातीय संग्रहालय की स्थापना, राज्य के अन्य भागों में

जनजातियों के लिए आदान-प्रदान दौरे, जनजातीय त्योहारों के आयोजन आदि के माध्यम से देश भर में जनजातीय संस्कृति और विरासत को संरक्षित करने तथा बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियां चलाने के लिए टीआरआई को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शीर्ष समिति के अनुमोदन से आवश्यकतानुसार टीआरआई को 100% अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।

"जनजातीय लोगों के विकास के लिए केन्द्र प्रायोजित योजनाएं और केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं" के संबंध में डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश द्वारा दिनांक 06.02.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 605 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक II

नासिक और धुले जिलों में केंद्र प्रायोजित योजनाओं की वित्तीय और वास्विक रिपोर्ट

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	ज़िला	परियोजना	वर्ष	योजना	परियोजना का नाम	आवंटित धन राशि	स्वीकृत	निर्मुक्त	उपयोग किया गया	अव्ययित	वास्तविक लक्ष्य	प्राप्त हुआ	योजना की स्थिति
1	नासिक	नासिक	2023-24	पीएम-जनमन	प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (बहुउद्देश्यीय केंद्र)	120.00	120.00	120.00	61.67	58.33	2	0	जारी
					कुल	**120.00**	**120.00**	**120.00**	**61.67**	**58.33**	**2**	**0**	
1	नासिक	नासिक	2019-20	छात्रवृत्ति	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	5000.31	5000.31	5000.31	5000.31	0.00	26899	23203	पूर्ण हुई
2	नासिक	नासिक	2020-21	छात्रवृत्ति	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	6500.81	6500.81	6500.81	6500.81	0.00	25147	21392	पूर्ण हुई
3	नासिक	नासिक	2021-22	छात्रवृत्ति	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	7700.72	7700.72	7700.72	7700.72	0.00	24308	20653	पूर्ण हुई
4	नासिक	नासिक	2022-23	छात्रवृत्ति	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	8800.39	8800.39	8800.39	8800.39	0.00	24954	21241	पूर्ण हुई
5	नासिक	नासिक	2023-24	छात्रवृत्ति	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	8700.96	8700.96	8700.96	8700.96	0.00	24954	21241	पूर्ण हुई
					कुल	**36703.19**	**36703.19**	**36703.19**	**36703.19**	**0.00**	**126262**	**107730**	
1	धुले	धुले	2019-20	छात्रवृत्ति	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	1000.35	1000.35	1000.35	1000.35	0.00	5695	5209	पूर्ण हुई
2	धुले	धुले	2020-21	छात्रवृत्ति	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	1200.44	1200.44	1200.44	1200.44	0.00	5331	4818	पूर्ण हुई
3	धुले	धुले	2021-22	छात्रवृत्ति	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	1200.50	1200.50	1200.50	1200.50	0.00	5141	4655	पूर्ण हुई
4	धुले	धुले	2022-23	छात्रवृत्ति	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	1400.35	1400.35	1400.35	1400.35	0.00	5731	5055	पूर्ण हुई
5	धुले	धुले	2023-24	छात्रवृत्ति	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	1600.94	1600.94	1600.94	1600.94	0.00	5731	5055	पूर्ण हुई
					कुल	**6402.58**	**6402.58**	**6402.58**	**6402.58**	**0.00**	**27629**	**24792**	

1	नासिक	एटीसी नासिक	2019-20	एससीए	कायापलट अभियान - आश्रम विद्यालयों और छात्रावासों की साज-सज्जा	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	162	162	पूर्ण हुई
					कुल	**1000.00**	**1000.00**	**1000.00**	**1000.00**	**0.00**	**162**	**162**	पूर्ण हुई
1	नासिक	एटीसी नासिक	2019-20	275(1)	आश्रम विद्यालयों को फर्नीचर (कायापलट)	3452.06	3452.06	3452.06	3451.90	0.16	232	232	पूर्ण हुई
2	नासिक	एटीसी नासिक	2019-20	275(1)	आदिवासी युवा उद्यमिता विकास कार्यक्रम 4 दिन की यात्रा	5.00	5.00	5.00	4.31	0.69	50	50	पूर्ण हुई
					कुल	**3457.06**	**3457.06**	**3457.06**	**3456.21**	**0.85**	**282**	**282**	
1	नासिक	नासिक	2019-20	एससीए	मातृ मृत्यु दर और उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था को कम करने के लिए पीएचसी/आरएच को आवश्यक और आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराना [1. पुनर्जीवन किट @14500 2] ट्यूबेक्टॉमी सेट @ 5500	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1	1	पूर्ण हुई
2	नासिक	नासिक	2019-20	एससीए	महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति - अंधविश्वासों पर अंकुश लगाने के लिए प्रदर्शन के साथ इंटरैक्टिव व्याख्यान, वर्ष 1 में 5 लाख और वर्ष 2 में 5 लाख	0.35	0.35	0.35	0.35	0.00	5	5	पूर्ण हुई
3	नासिक	नासिक	2021-22 एवं 2022-23	एससीए	प्रधान मंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई)	2360.99	2360.99	1038.16	1038.16	0.00	126	0	जारी
					कुल	**2362.34**	**2362.34**	**1039.51**	**1039.51**	**0.00**	**132**	**6**	
1	नासिक	नासिक	2019-20	275(1)	निगरानी और मूल्यांकन (ए.एस. में सीसीटीवी कैमरा उपलब्ध कराना)	32.53	32.53	32.53	32.53	0.00	24	24	पूर्ण हुई

					कुल	**32.53**	**32.53**	**32.53**	**32.53**	**0.00**	**24**	**24**	
1	नासिक	कलवान	2019-20	एससीए	महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति - अंधविश्वासों पर अंकुश लगाने के लिए प्रदर्शन के साथ इंटरैक्टिव व्याख्यान, वर्ष 1 में 5 लाख और वर्ष 2 में 5 लाख	0.35	0.35	0.35	0.35	0.00	5	5	पूर्ण हुई
					कुल	**0.35**	**0.35**	**0.35**	**0.35**	**0.00**	**5**	**5**	
1	नासिक	कलवान	2019-20	275(1)	निगरानी और मूल्यांकन (ए.एस. में सीसीटीवी कैमरा उपलब्ध कराना)	8.14	8.14	8.14	8.14	0.00	6	6	पूर्ण हुई
					कुल	**8.14**	**8.14**	**8.14**	**8.14**	**0.00**	**6**	**6**	
1	धुले	धुले	2019-20	एससीए	महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति - अंधविश्वासों पर अंकुश लगाने के लिए प्रदर्शन के साथ इंटरैक्टिव व्याख्यान, वर्ष 1 में 5 लाख और वर्ष 2 में 5 लाख	0.70	0.70	0.70	0.70	0.00	10	10	पूर्ण हुई
					कुल	**0.70**	**0.70**	**0.70**	**0.70**	**0.00**	**10**	**10**	
2	धुले	धुले	2021-22 एवं 2022-23	एससीए	प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई)	1932.24	1932.24	849.63	70.82	778.81	118	0	जारी
					कुल	**1932.24**	**1932.24**	**849.63**	**70.82**	**778.81**	**118**	**0**	
1	धुले	धुले	2019-20	275(1)	सरकारी आश्रम स्कूल (पीओ आईटीडीपी धुले) और ईएमआरएस में छात्रों के लिए स्नान की सुविधा के लिए हीट पंप वॉटर हीटर प्रदान करना	64.00	64.00	64.00	48.99	15.01	2	2	पूर्ण हुई
2	धुले	धुले	2020-21	275(1)	सरकारी आश्रम स्कूल (पीओ आईटीडीपी धुले) और ईएमआरएस में छात्रों के लिए स्नान	64.00	64.00	64.00	48.98	15.02	2	2	पूर्ण हुई

					की सुविधा के लिए हीट पंप वॉटर हीटर प्रदान करना								
					कुल	**128.00**	**128.00**	**128.00**	**97.97**	**30.03**	**4**	**4**	